

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं० : 67/2022


नवान :

1. तुलछीराम } पिसरान हरीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण
2. राजवीर } निवासी कणाऊ तहसील भादरा

:- वादीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुक्मा जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तहसील भादरा
2. कमला पत्नी प्रभु पुत्री हरीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी हाल रासलाना तहसील भादरा
3. राजवाला पत्नी सुरेश पुत्री हरीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी हाल रासलाना तहसील भादरा
4. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ तहसील भादरा
5. कविता पत्नी, सोमवीर जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तहसील भादरा
6. पूनम पुत्री सीताराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तहसील भादरा
7. भूपसिंह पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा
8. मनीराम पुत्र हुक्मा जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तहसील भादरा
9. रोशनी पत्नी मनीराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तहसील भादरा
10. शंकरदयाल पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा
11. सुभाष पुत्र राजकरण जाति जाट निवासी कुंजी तहसील भादरा
12. सुमित्रा पत्नी कृष्ण जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तहसील भादरा
13. सरीता पत्नी विनोद कुमार जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी कणाऊ तह0


सहायक कलेक्टर भादरा
फास्ट ट्रैक भादरा

14. पंजाब नैशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिये ब्रांच मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक शाखा मलसीसर तहसील भादरा
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा घेऊ जरिये ब्रांच मैनेजर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा घेऊ तहसील भादरा
16. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा एसीजेएम कोर्ट भादरा जरिये ब्रांच मैनेजर राजस्थान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा एसीजेएम कोर्ट भादरा तहसील भादरा


17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सन्तलाल एवं वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 3 श्री रजोश नेहरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं० 330/350 के ख०सं० 452 की 8.4480है०, ख०सं० 492 की 5.9060है०, ख०सं० 578 की 3.4650है० कुल 17.8190 वारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 हरीराम के नाम 3278/17819 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 कमला पुत्री हरीराम व प्रतिवादी सं० 3 राजवाला पुत्री हरीराम ने अपना हक हिस्सा वादी सं० 1, वादी सं० 2 व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 हरीराम पुत्र हुक्मा अकेले के वजाय वादी सं० 1 तुलछीराम पुत्र हरीराम, वादी सं० 2 राजवीर पुत्र हरीराम व प्रतिवादी सं० 1 हरीराम पुत्र हुक्मा को वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़